(285)

प्रेषक

राज्य जन सूचना अधिकारी
का0 उच्चतर शिक्षा आयुक्त हरियाणा
चण्डीगढ़।

सेवा में

राजकीय महाविद्यालयों के सभी प्राचार्य।

यादी कमांक 1/56–2000 तम (2)
दिनांक चण्डीगढ़ 04.07.07

विषयः– **Information under RTI ACT–2005**

****

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 1/56–2000 तम (2) दिनांक 27.02.2006 तथा 10.03.2006 के संदर्भ में।

2. उपरोक्तानुसार आपको पुनः स्मरण करवाया जाता है कि सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य R.T.I. Act के तहत **first Appellate Authority** तथा वरिष्ठ कार्यकारी प्राध्यापक **State Public Information Officer** होगें। अतः इन आदेशां की दृढ़ता से पालना की जाये व प्राप्त प्रतिवेदनों का Act के नियमानुसार समय पर निपटान किया जाये।

4.7.07

राज्य जन सूचना अधिकारी
कृते उच्चतर शिक्षा आयुक्त हरियाणा,
चण्डीगढ़

Letter Hindi 2007(2).doc

प्रेषक

उच्चतर शिक्षा आयुक्त, हरियाणा ।

सेवा में

राज्य के सभी
राजकीय सहायता प्राप्त अराजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य ।

यादी कमांक 3/07--2006-तम(2),
दिनांक चण्डीगढ़ 10-05-2007,

विषयः जन-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जन-सूचना अधिकारी तथा फर्स्ट अपीलेट अथारिटी की नियुक्ति बारे ।

उपर्युक्त विषय पर इस निदेशालय के यादी कमांक 1/21--2007-तम-2, दिनांक 24-04-2007 के संदर्भ में ।

2. संदर्भित पत्र अन्तर्गत आपको निर्देश दिया गया था कि आप अपने महाविद्यालय के इस आशय हेतु जन-सूचना अधिकारी होंगे तथा महाविद्यालय की प्रबन्धक समिति के प्रबन्धक/प्रधान/अध्यक्ष, फर्स्ट अपीलेट अथारिटी होंगे । इस संबंध में आप द्वारा आव्यक अधिसूचना जारी करके अनुपालना रिपोर्ट इस निदेशालय को 15 दिनों के भीतर भेजने हेतु भी लिखा गया था, लेकिन आप द्वारा अभी तक ऐसा नहीं किया गया है । तदनुसार आपको पुनः निर्देश दिया जाता है कि वांछित अधिसूचना तुरन्त जारी करके तथा **जन-सूचना अधिकारी एवं फर्स्ट अपीलेट अथारिटी के नाम महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर डिसपले करके अनुपालना रिपोर्ट इस निदेशालय को शीघ्रातिशीघ्र भेजें ।** ऐसा न करने की स्थिति में आपके **महाविद्यालय की ग्रान्ट-इन-एड भी रोकी जा सकती है**, इसलिए इसे प्राथमिकता प्रदान करें ।

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन,
कृते: उच्चतर शिक्षा आयुक्त, हरियाणा ।

पृष्ठांकन कमांक सम, दिनांक चण्डीगढ़ 10-05-2007,

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती हैः---

1. पी0ए0/एच0ई0सी0 ।
2. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन ।
3. सहायक निदेशक महाविद्यालय-4,
4. सहायक निदेशक महाविद्यालय-2,

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन,
कृते: उच्चतर शिक्षा आयुक्त, हरियाणा ।